न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—367/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00367)

1. श्रीमती मीरा बेवा कजोड
2. श्रीमती शिमला पुत्री कजोड
3. श्रीमती काली पुत्री कजोड
4. कुमारी माया पुत्री कजोड
   समस्त जाति चमार बैरवा निवासीगण जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. हंसा पुत्री कजोड जाति चमार बैरवा निवासी जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती मनफूली पुत्री नारायण पत्नी सोजीराम जाति बैरवा निवासी कुम्हारिया तहसील सरवाड जिला अजमेर।
2. श्रीमती नाथी पुत्री नारायण पत्नी बजरंग जाति बैरवा निवासी कुहाडाबुजुर्ग तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक।
3. श्रीमती प्रेम पुत्री नारायण पत्नी रामेश्वर जाति बैरवा निवासी भवरथला कॉलोनी बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर।
4. श्रीमती सायरी पत्नि स्व0 प्रहलाद
5. रतनलाल पुत्र स्व0 प्रहलाद
6. नन्दलाल पुत्र स्व0 प्रहलाद
   समस्त जाति बैरवा निवासी बलावटिया खेडा तहसील सरवाड जिला अजमेर।
7. पारस पुत्र गोपीलाल जाति रेगर
8. इन्द्रा पत्नी पारस जाति रेगर
9. प्रहलाद पुत्र मेघा जाति बलाई
10. महावीर पुत्र बालू जाति धोबी
    समस्त निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 31.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी राजस्व वाद संख्या 75/2008

उपस्थितः—

1. श्री योगेन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एस0पी0औझा0 अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8
3. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 11
5. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6, 9 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—09.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 75/2008 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 31.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विरूद्ध रेस्पोडेंट अंतर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 स्व0 प्रहलाद पुत्र बिरदा ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादीगण के वाद को डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर दिनांक 24.07.2015 को निर्णय पारित किया गया। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी केकडी ने वादीगण के मौखिक निवेदन का अंकन दर्शाते हुए दिनांक 31.07.2015 को संशोधित निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 75/2008 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 31.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6, 9 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 5 स्व० प्रहलाद पुत्र बरदा के वारिसान की तलबी हेतु नियत था। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 17.6.2015 नियत की गयी। दिनांक 17.6.2015 को रेस्पो० संख्या 4 लगायत 6 को तामिल नहीं होते हुये भी प्रकरण में बिना अपीलान्टस की सहमति के प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर दिया गया। जबकि आदेश दिनांक 17.6.2015 की जानकारी अपीलान्टस को नहीं थी दिनांक 24.07.2015 तक प्रतिवादी/रेस्पो० संख्या 4 लगायत 6 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये तथा प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पो० संख्या 7 लगायत 10 की ओर से जवाबदावा भी प्रस्तुत होना शेष था। दिनांक 24.07.2015 से पूर्व एक साईक्लोस्टाईल मोहर जिसमें वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित बाबत जिक्र है लगाते हुये पत्रावली बिना सहमति के एवं बिना सूचना दिये दिनांक 24.7.2015 को लोक अदालत में रेफर कर दी गयी एवं लोक अदालत की आदेशिका/निर्णय में भी उभयपक्षों के अभिभाषक एवं उपस्थित पक्षकार की उपस्थिति दर्शा दी गयी जबकि वादीगण व उनके अभिभाषक दिनांक 24.7.2015 को लोक अदालत में उपस्थित नहीं थे न ही वादीगण की ओर से प्रकरण को लोक अदालत में नियत किये जाने एवं वाद सहमति से निर्णित किये जाने में अपनी कोई स्वीकृति दी थी। बिना किसी जवाबदावे या प्रार्थना पत्र के उपखण्ड अधिकारी केकडी ने वादीगण/अपीलान्टस का वाद अभिकथनों के बाहर जाकर निर्णीत किये जाने की आवश्यक प्रक्रिया को अपनाये बिना निर्णीत कर अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। वादीगण का वाद लोक अदालत में नियत किये जाने बाबत वादीगण को सूचना नहीं दी गयी थी वादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये वाद सरसरी तौर पर निर्णीत कर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी ने वादीगण के साथ अन्याय किया है उनका निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। वाद के विचाराधीन रहते वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर०टी० एक्ट प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही

थी। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने वादीगण के प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी० एक्ट दर्ज रजिस्टर करते हुये वादीगण के पक्ष में अपने आदेश दिनांक 7.3.2008 द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुये प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया था साथ ही उन्हें भूमि का बेचान आदि नहीं करने से भी पाबन्द किया था इसके बावजूद रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 व उनकी माता मगदू ने आराजी खसरा नम्बर 3274 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि में उनका 1/4 हिस्सा होते हुये भी उन्होंने अपना उक्त भूमि में 4/5 हिस्सा दर्शाते हुये भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2009 द्वारा रेस्पो० संख्या 7 लगायत 10 को बेचान कर दी। उक्त विक्रय पत्र प्रथम तो स्थगन आदेश होते हुये किया गया था जो न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवहेलना होने से नलिटी था तथा धारा 52 टी०पी० एक्ट के प्रावधानों के तहत ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो० संख्या 7 लगायत 10 को विवादित भूमि में कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपने आदेश दिनांक 30.4.2014 द्वारा उन्हें गलत रूप से वाद में पक्षकार बनाया था इसके अतिरिक्त राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा नम्बर 3274 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि वादीगण/अपीलान्टस व प्रतिवादी/रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 व उनके स्व० माता मगदू के नाम 1/4–1/4 हिस्से से दर्ज थी। राजस्व रिकार्ड को नजरअन्दाज करते हुये रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 व उनकी माता मगदू ने आराजी खसरा नम्बर 3274 में स्वयं का 4/5 हिस्सा गलत रूप से दर्शाकर भूमि का बेचान रेस्पो० संख्या 7 लगायत 10 को कर दिया जबकि विवादित भूमि खसरा नम्बर 3274 में उनका मात्र 1/4 हिस्सा था। विक्रय पत्र में उन्होंने अपना जो हिस्सा ज्यादा दर्शाकर भूमि का बेचान किया था वह शून्य था ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो० संख्या 7 लगायत 10 को आराजी खसरा नम्बर 3274 के 4/5 हिस्से में कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है। राजस्व रिकार्ड में उनका नाम विक्रय पत्र के आधार पर इसी आधार पर दर्ज नहीं किया गया था कि विक्रय पत्र ज्यादा भूमि का किया गया है जबकि खातेदार (विक्रेतागण) का उक्त भूमि में मात्र 1/4 हिस्सा था। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने रेस्पो० संख्या 7 लगायत 10 के विक्रय पत्र को देखे बिना ही उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर बिना अपीलान्टस की सहमति के आराजी खसरा नम्बर 3274 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार रेस्पो० संख्या 7 लगायत 10 को घोषित कर दिया। जबकि रेस्पो० संख्या 7 लगायत 10 का उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष न तो कोई वाद था न ही क्रोस सूट अथवा काउन्टर क्लेम था। अभिकथनों के बाहर जाकर बिना वादीगण/अपीलान्टस की सहमति के वादीगण/अपीलान्टस का हिस्सा आराजी खसरा नम्बर 3274 से हटाकर व कम करके उपखण्ड अधिकारी केकडी ने आराजी खसरा नम्बर 3274 पर रेस्पो० संख्या 7 लगायत 10 को खातेदार काश्तकार घोषित करने में कानूनी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी केकडी ने बिना वादीगण को तलब किये व बिना वादीगण की सहमति के अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 24.7.2015 पारित किया था इसके पश्चात वादीगण के मौखिक निवेदन का अंकन दर्शाते हुये दिनांक 31.7.2015 को संशोधित निर्णय पारित कर दिया। जबकि वादीगण/अपीलान्टस ने न तो लोक अदालत में किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत किया था न ही लोक अदालत में वादीगण/अपीलान्टस को तलब किया था न ही उन्होंने किसी प्रकार की दिनांक 24.7.2015 को वाद को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति दर्शायी थी इसके अतिरिक्त वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष किसी प्रकार का निर्णय को संशोधित किये जाने में भी कोई मौखिक निवेदन नहीं किया था। उक्त तथ्य उपखण्ड अधिकारी केकडी ने बिना किसी प्रकार

का केवल रेस्पो० को नाजायज लाभ देने की गरज से दर्शाकर निर्णय दिनांक 31.7.2015 पारित किया है। आराजी खसरा नम्बर 2293 व 2294 बाबत भी उपखण्ड अधिकारी केकडी का निर्णय व डिक्री अभिकथनों के बाहर जाकर पारित किये गये है। वादीगण/अपीलान्टस ने उनके द्वारा प्रस्तुत वाद को लोक अदालत में जरिये राजीनामा निर्णीत किये जाने में किसी प्रकार की सहमति नहीं दी थी न ही अपीलान्टस को इस बाबत सूचित किया गया था कि उनका प्रकरण लोक अदालत में नियत किया गया है न ही किसी आदेशिका में अपीलान्टस की उपस्थिति दर्शायी गयी है। जबकि लोक अदालत में वही प्रकरण निर्णीत होते है जिसमें उभयपक्षों की सहमति हो तथा उभयपक्ष लोक भावना के तहत प्रकरण का निस्तारण करवाने की सहमत हो। उपरोक्त प्रकरण में समस्त पक्षकार उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुये थे जैसाकि प्रकरण रेस्पो० संख्या 4 लगायत 6 की तलबी हेतु नियत था। राजीनामा केवल 7 लगायत 10 की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपना निर्णय व डिक्री दिनांक 24.7.2015 पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है तथा लोक भावना के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 75/2008 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 31.07.2015 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादपत्र के पेरा संख्या 1 के उत्तर में निवेदन है कि प्रतिवादी नं० 5 का वाद में वर्णित आराजीयात में केवल निम्न वर्णित आराजीयात में ही खातेदारी अधिकार प्राप्त है तथा वह इन निम्न आराजीयात पर काबिज है व काश्त करता चला आ रहा है एवं इन निम्न वर्णित आराजीयात में उसका 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी नं0 5 का वाद के पेरा संख्या 1 में वर्णित अन्य आराजीयात से कोई ताल्लुक या सरोकार नहीं है। वादपत्र पेरा संख्या 2 के उत्तर में निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में आराजीयात संयुक्त खातेदारी में अंकित है तथा जमाबन्दी में प्रतिवादी नं० 5 का 1/2 हिस्सा अंकित है। वादपत्र के पेरा संख्या 3 के उत्तर में निवेदन है कि प्रतिवादी नं० 5 खाता नं0 681 की उक्त वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक काबिज है तथा अन्य प्रतिवादीगण के हिस्से व कब्जे का कथन वादीगण सिद्ध करें। वादपत्र के पेरा संख्या 4 के उत्तर में निवेदन है कि प्रतिवादी न० 5 को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं0 2293 व खसरा नम्बर 2294 में उसके 1/2 हिस्से का बटवारा किया जाकर राजस्व अलग अलग किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वादपत्र के पेरा संख्या 5 के उत्तर में निवेदन है कि प्रतिवादी नं० 5 का कोई वास्ता या सरोकार नहीं है तथा उत्तर की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी नं० 5 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने का कोई अधिकार या कथन नहीं है। वादपत्र का पेरा संख्या 6, पेरा संख्या 7 तथा पेरा संख्या 8 कानूनी है। शेष प्रार्थना पेरा संख्या "अ" में वर्णित अनुसार प्रतिवादी नं0 5 को खाता नम्बर 681 में वर्णित खसरा नं0 2293 व खसरा नं0 2294 का बटवारा किया जाने व नक्शे में तरमीम की डिक्री प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा उसी अनुसार प्रतिवादी नं० 5 का नाम उसकी आराजीयात में अलग से राजस्व रेकार्ड में बहेसियत खातेदार दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है तथा पेरा संख्या "ब" व "स" में वर्णित कथनों के बारे में वाद खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई

आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर दिनांक 24.07.2015 को व संशोधित आदेश दिनांक 31.07.2015 को प्रकरण का निस्तारण किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.06.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली प्रतिवादी संख्या 5 स्व0 प्रहलाद पुत्र बरदा के वारिसान की तलबी हेतु नियत थी। दिनांक 17.06.2015 को रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 को तामील नहीं होते हुए भी प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में बिना अपीलांट्स की सहमति के नियत किया गया। पत्रावली में नियत दिनांक 17.06.2015 की जानकारी अपीलांट्स को व प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 को नहीं थी तथा ना ही वह उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को दिनांक 24.07.2015 को अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 4 से 6 को लोक अदालत में उपस्थिति बाबत नोटिस जारी किए बिना ही प्रकरण का निस्तारण राजीनामे अनुसार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा मात्र रेस्पोडेंट संख्या 7 से 9 द्वारा ही प्रस्तुत किया गया उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संपूर्ण प्रकरण को राजीनामे के आधार पर लोक अदालत में नियत कर प्रकरण का निस्तारण किया गया, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में इस बिंदु को ध्यान में नहीं रखा गया कि लोक अदालत में उन्हीं प्रकरण का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्षकारान के मध्यम आपसी सहमति/समझौता होता है, परंतु वर्तमान प्रकरण में केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 7 से 9 ने ही राजीनामा प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य किसी पक्षकार की सहमति नहीं थी तथा ना ही अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अविधिक राजीनामे को आधार मानकर प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 की तलबी बाकि थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी तलबी पूर्ण किए बिना व उन्हें जवाब पेश किए जाने का तथा साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होना मानकर प्रकरण का एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था इसके बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 व उनकी माता मगदू ने उक्त विवादित आराजीयात को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2009 को रेस्पोडेंट संख्या 7 लगायत 10 को बैचान कर दी। इससे स्पष्ट है कि दौराने वाद उक्त

आराजीयात का बैचान किया गया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में न रखते हुए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2015 पारित किया गया था इसके पश्चात वादीगण के मौखिक निवेदन का अंकन दर्शाते हुए दिनांक 31.7.2015 को संशोधित निर्णय पारित कर दिया। जबकि वादीगण/अपीलांट्स ने ना तो लोक अदालत में किसी प्रकार का राजीनामा प्रस्तुत किया था न तो लोक अदालत में वादीगण/अपीलांट्स को तलब किया था ना ही उन्होंने किसी प्रकार की दिनांक 24.07.2015 को वाद को डिक्री किए जाने में अपनी सहमति दर्शायी थी, इसके अतिरिक्त वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार निर्णय को संशोधित किए जाने में भी कोई निवेदन नहीं किया था इस बाबत भी पत्रावली पर कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 31.07.2015 में विधिक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 75/2008 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 31.07.2015 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण से संबंधित पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर उक्त तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर